प्ररूप 21 ग (नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा।

राजस्थान (राज्य) के 13 - अजमेर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपवंधो के अनुसरण में, मैं घोषणा करती हूं कि –

श्री भागीरथ चौधरी,

चोयल हाउस, पानी की टंकी के पास, शांति नगर, मदनगंज-किशनगढ़ जिला अजमेर (राज.) जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किए गए हैं।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिये सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थानः- अजमेर तारीखः- 04.06.2024



(डॉ. भारती दीक्षित) रिटर्निंग अधिकारी 13-अजमेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर)

(खीं. भारती दीक्षित्) रिटनिंग अधिकारी 13, अजमेर संसदीय ! जन क्षेत्र (जिला कलक्टर एवं जिला माज, हो अजमेर)

Form 21 C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951

Election to the House of the People from the 13-AJMER Parliamentary Constituency in the Rajasthan (State).

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that-

Shri BHAGIRATH CHOUDHARY,

CHOYAL HOUSE, PANI KI TANKI KE PASS, SHANTI NAGAR, MADANGANJ-KISHANGARH **DISTRICT AJMER (RAJ.)**

sponsored by BHARATIYA JANATA PARTY has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place- AJMER

Date - 04-06-2024

Returning Officer 13-Ajmer Parliamentary Constituency (District Collector and District Magistrate, Ajmer)

> (Dr. Bharti Dixit) Returning Officer 13-Ajmer Parliamentary Constituency (District Collector and District : strate, Ajmer)